निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या :– 01/2019 दावा
यरा दिनांक :–01.01.2019
र्णय दिनांक :– 10·4·19

उनवान

गोविन्दा पुत्र रामबक्श जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 10·4·19

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खाता नं0 395/298 रकबा 05 बीघा मौजा हरनावदीजागीर मे स्थित है जो वादी के खातेदारी मे दर्ज है एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध मे पड़ौसी काश्तकारो से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पड़ौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोड़ने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 28.12.2018 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 28.12.2018 को उक्त वर्णित आराजियात पर पड़ौसी काश्तकारो द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदीजागीर सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 26, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की है। पड़ौसी खातेदारान जबरन मेड तोड़कर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिससे पड़ौसी काश्तकारो से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नही हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदीजागीर सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 26के ख0नं0 395/298 रकबा 05 बीघा बजानिव दक्षिण दिशा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदीजागीर तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 504 रकबा 395/298 रकबा 05 बीघा बजानिव दक्षिण दिशा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकार छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 01/2019	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक : 10-4-19
समक्ष : श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

गोविन्दा पुत्र रामबक्श जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदीजागीर तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 504 रकबा 395/298 रकबा 05 बीघा बजानिव दक्षिण दिशा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 10-4-19 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1	वद पत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (:)		
10	योग		

Scanned by CamScanner